न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: मांगेराम पूनियां R.T.S.
मिसल नं. ::: 409 / 2021

सरकार बनाम महेश कुमार पुत्र शम्भूदयाल, जाति–अहीर, निवासी– काजड़ा

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 25.11.2021

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल महेश कुमार पुत्र शम्भूदयाल, जाति–अहीर, निवासी–काजड़ा द्वारा रोही मौजा काजड़ा की राजकीय भूमि ख.नं. 249 के कुल रकबा 0.25 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से 0.0650 है0 भूमि पर तारबन्दी कर रास्ते पर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया जिसमें उसके द्वारा रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण नही किया जाना अंकित किया गया। गैर सायल का जवाब संतोषजनक नही माना जा सकता है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 20 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० सं० 4 के पृष्ठ सं. 42 वर्ष 2021-22 में रुपये 20/- कायम
राजस्व लेखाकार

(मांगेराम पूनियां)
तहसीलदार, सूरजगढ़